उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-48/2018/एस-2-2036/दस-2018-88क(1)/2018टीसी-2
लखनऊ :: दिनॉक::14 सितम्बर, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री गुरूजीत सिंह कल्सी, वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन उ0प्र0 लखनऊ को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त नियंत्रक,उ0प्र0हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना, लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें।

2- श्री कल्सी को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

यशु रूस्तगी
विशेष सचिव।

<u>संख्या-48/2018/एस-2-2036(1)/दस-2018-88क(1)/2018टीसी-2, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, उ0प्र0शासन।
2- परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन उ0प्र0 लखनऊ ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना,लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।